लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./एनसी/बी/25/2019/ 359 भोपाल दिनांक 19.08.19

प्रति,

समस्त जिला शिक्षाधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :– नवीन संवर्ग मे नियुक्त अध्यापक संवर्ग के लोक सेवको के वेतन निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण करने एवं अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध मे।

संदर्भ:– लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्र./विशेष सेल/बी/वेतन/2019/332, भोपाल दिनांक 19.07.2019

:: 00 ::

विषयान्तर्गत आपके स्तर से अति महत्वपूर्ण कार्रवाई काफी लम्बे समय से लंबित है। जिनके पूर्ण नही होने से भर्ती नियम 2018 के अन्तर्गत नियुक्त लोक सेवको को सातवॉ वेतनमान देने, एम्पलाई कोड जारी करने तथा आई.एफ.एम.आई.एस के माध्यम से वेतन आहरित करने की कार्यवाही नही हो पा रही है। तद्नुसार निम्नांकित जानकारी जिला स्तर से प्राप्त होना अपेक्षित है :–

1. अध्यापक संवर्ग को दिए गए छटवें वेतनमान के वेतन निर्धारण की शतप्रतिशत कार्यवाही पूर्ण कर जिला पंचायत में पदस्थ वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखा अधिकारी से अनुमोदन करा कर गुगल ड्राइव पर पृविष्टि कराई जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. नवीन संवर्ग मे नियुक्त अध्यापक संवर्ग के लोक सेवको को वित्त विभाग से एम्लाई कोड जारी करने एवं आई.एफ.एम.आई.एस के माध्यम से वेतन देयक तैयार करने की कार्यवाही हेतु नवीन संवर्ग में नियुक्त समस्त लोक सेवको का डाटा यथा–3910 नॉन आर.आई.ए, 12248 प्रान विदाउट नामिनेशन, 32591 प्रान विदाउट बैंक डिटेल 124496 प्रान विदाउट ई–मेल आई.डी., 2350 प्रान विदाउट मोबाइल नम्बर एवं 3180 निल क्रेडिट प्रान की जानकारी वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना है। इस जानकारी के अभाव में कोषालय द्वारा एम्लाई कोड जारी करने एवं सातवॉ वेतनमान का वेतन निर्धारण संभव नही हो सकेगा।

3. नवीन संवर्ग मे नियुक्त अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के मिसिंग क्रेडिट के प्रकरणो के संबंध में राशि और चालान भेजने के निर्देश पूर्व में ही दिए जा चुके है। यह कार्रवाई भी जिला स्तर से अपेक्षित है।

उक्त उल्लेखित बिन्दुओं की जानकारी आज दिनांक तक उपलब्ध नही कराई गई है, जिसके कारण वांछित जानकारी वित्त विभाग को उपलब्ध नही कराई जा सकी है, जोकि अत्यन्त खेदजनक है। अतः एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि वांछित जानकारी 15 दिवस की समय सीमा में अनिवार्य रूप से गुगल ड्राइव पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात ही जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षाधिकारी, संकुल प्राचार्य एवं जिन अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की वांछित जानकारी लंबित है, उनके वेतन अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बगैर आहरित नही हो सकेगें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./एनसी/बी/25/2019/360 भोपाल दिनांक 19.08.19

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त जिला–कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर भेज कर लेख है कि इस पत्र को टीएल में सम्मिलित कर नियमित समीक्षा करने का कष्ट करें।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत मध्यप्रदेश
4. समस्त सहभागी संयुक्त संचालक
5. समस्त जिला कोषालय अधिकारी म.प्र की ओर भेजकर लेख है कि आयुक्त लोक शिक्षण की अनुमति के पश्चात् ही पत्र में अंकित अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन देयक पारित किए जावे।

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश